an>

Title: Need to implement election conduct rules in Cantonment Board elections.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के विभिन्न कैंटोनमेंट बोर्ड में होने वाले चुनावों की ओर दिलाना चाहता हूँ। जिस प्रकार देश में नगरपालिका, विधान सभा और लोक सभा का चुनाव होता है, उसी तरह से कैंटोनमेंट बोर्ड के सदस्य का भी चुनाव समय समय पर होता है। लेकिन इन कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव हेतु सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। इन कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनावों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर कोई आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है जबकि देश के बाकी चुनावों में चुनाव लड़ने हेतु खर्च की सीमा निर्धारित होती है। साथ ही साथ आपराधिक ब्यौरा, मुकदमों का ब्यौरा, शैक्षणिक योग्यता और संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। जबकि कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनावों में इस तरह के कोई नियम लागू नहीं होते। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के नियम देश के बाकी चुनावों में लागू हैं, वही नियम कैंटोनमेंट बोर्ड में लागू किए जाएँ।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Dushyant Chautala,

Shri Arvind Sawant and

Shri Rahul Shewale are permitted to associate with the issue raised by Shri Shrirang Appa Barne today.